पत्रांक : 5प / राज्य स्कीम–02–05 / 2022 / 98(अ0) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

शम्स जावेद अंसारी,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका,
बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर,
दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज,
जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार एवं खगड़िया।

पटना दिनांक: 17/3/26

विषय : वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 86(स्वी०) दिनांक 16.03.2026 के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹50,00,00,000.00 (पचास करोड़ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय संकल्प संख्या 5465 दिनांक 17.09.2021 के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 86(स्वी०) दिनांक 16.03.2026 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य योजना मद से कुल ₹50,00,00,000.00 (पचास करोड़ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से कुल ₹50,00,00,000.00 (पचास करोड़ रुपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :–

विपत्र कोड-16-2515001980115

राशि रूपये में

क्र०	जिला का नाम	आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि
1	2	3
1	Araria	1801069.00
2	Arwal	4316487.00
3	Aurangabad	67058465.00
4	Banka	29252097.00
5	Begusarai	16977702.00

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2025-26\State Scheme\Solar Street Light Scheme\Letter.docx

6	Bhagalpur	48792698.00
7	Bhojpur	5117522.00
8	Buxar	11646770.00
9	Darbhanga	34878080.00
10	East Champaran	107392099.00
11	Gaya	32553420.00
12	Gopalganj	32237432.00
13	Jamui	32429507.00
14	Jehanabad	23529747.00
15	Kaimur	16927500.00
16	Katihar	31053479.00
17	Khagaria	4035926.00
कुल		500000000.00

पचास करोड़ रुपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–16 के राज्य योजना अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0115–स्वच्छ गाँव–निश्चय–2 कार्यक्रम" के "विषय शीर्ष–0115.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण" मद से की जायेगी एवं विपत्र कोड–16–2515001980115 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 86(स्वी०) दिनांक 16.03.2026 में दिये गये निदेश के आलोक में नियमानुसार करेंगे।

5. इस आवंटित राशि का उपयोग विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5465 दिनांक 17.09.2021, पत्रांक 7335 दिनांक 29.07.2022 एवं समय–समय पर निर्गत विभागीय अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 227 दिनांक 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा की वे अपने जिला के लिए स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

Aditi

8. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

10. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

11. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या : 5प/राज्य स्कीम–02–05/2022 के पृष्ठ संख्या ....117....../टि० पर दिनांक .....17/03/2026.. को प्राप्त है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

17.3.26

(शम्स जावेद अंसारी)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–05/2022/98(अ)/पं०रा० पटना, दिनांक 17/3/26

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, ब्रेडा, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी अपर मुख्य

Aditi

कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी–03, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.26

(शम्स जावेद अंसारी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–05/2022/98(अनु)/पं०रा० पटना, दिनांक 17/3/26

प्रतिलिपि : परियोजना निदेश, SPRC, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.26

(शम्स जावेद अंसारी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–05/2022/98(अनु)/पं०रा० पटना, दिनांक 17/3/26

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17.3.26

(शम्स जावेद अंसारी)
संयुक्त सचिव

Aditi